

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 198/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/544

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. करनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कालेवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1. गोकलराम पुत्र मेहराराम 2. रामलाल पुत्र मेहराराम जाति जाट
2. भंवरलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी धोलिया तहसील व जिला बाड़मेर		निवासी विजली घर के सामने, पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. प्रतिवादी संख्या 03 अनुपस्थित।



निर्णय

दिनांक- 06/06/25


संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 957/738 क्षेत्रफल 0.7588 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.01.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद पचपदरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 957/738 क्षेत्रफल 0.7588 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	करनाराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. कालेवा खातेदार भंवरलाल पुत्र शेराराम हि. 1/2 जाति जाट सा. धोलिया तहसील बाड़मेर खातेदार	पचपदरा	957/738	0.6602	बा.दोयम	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	गोकलराम पुत्र मेहराराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह रामलाल पुत्र मेहराराम हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	पचपदरा	957/738	0.0986	बा.दोयम	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 06.06.25 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर 06/06/2025
एस.डी.ओ.)बालोतरा



मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 198/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/544

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. करनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी कालेवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1. गोकलराम पुत्र मेहराराम 2. रामलाल पुत्र मेहराराम जाति जाट निवासी बिजली घर के सामने, पचपदरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
2. भंवरलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी धोलिया तहसील व जिला बाड़मेर		3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :198/2023

निर्णय दिनांक :- 06.6.2025

वादीगण की ओर से श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 03 अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 06.6.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 06.6.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
06/06/2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़
	-----		-----



[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा
 06/06/2022